भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3953
दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ

कार्यशालाओं में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी

†3953 . श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
डॉ. विनोद कुमार बिंदः
श्रीमती पूनमबेन माडमः
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकिः
श्री दिलेश्वर कामैतः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः
श्री बंटी विवेक साहूः
श्री मुकेश राजपूतः
श्री बिभु प्रसाद तराईः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(1) प्रत्येक जिले में आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों का चयन और विकास किस प्रकार किया जाएगा;

(2) कार्यशालाओं में महिला प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने तथा अनुवर्ती पहलों के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(3) यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि उक्त कार्याशालाओं के परिणामों से जमीनी स्तर पर दीर्घकालिक नीतिगत परिवर्तन हो सकें;

(4) क्या सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न राज्यों में महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने हेतु कोई तंत्र है; और

(5) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क), (ख) और (ग) मंत्रालय ने 17 एसडीजी को 9 विषयों में समेकित करके पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) की शुरूआत की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक जमीनी स्तर पर सतत विकास एजेंडा को प्राप्त करना है। इस पर कार्य करते हुए, मंत्रालय एलएसडीजी के विषय 9 पर ध्यान केंद्रित करके चयनित ग्राम पंचायतों को परिवर्तित करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता कर रहा है। इस प्रयास के तहत, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू में प्रत्येक जिले में एक ग्राम पंचायत की पहचान की है जिसे एक आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत (एमडब्ल्यूएफजीपी) के रूप में विकसित किया जाना है। इस परिवर्तन में सहायता के लिए, मंत्रालय ने इन चयनित ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष मॉड्यूल तैयार किया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य महिला हितैषी पैरामीटर, जैसे कि महिला सभा का नियमित आयोजन इत्यादि, पर उनके प्रदर्शन को बढ़ाना है। इस पहल की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेषीकृत डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है।

मंत्रालय ने कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों और क्षमता निर्माण गतिविधियों में महिला प्रतिनिधियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एड्वाइजरी जारी की है और नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं। जबकि एमडब्ल्यूएफजीपी पहल आशाजनक है, यह अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, जिससे जमीनी स्तर के नीतिगत बदलावों पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी।

(घ) और (ङ) जी हां, मंत्रालय कार्यशालाओं, सम्मेलनों, समितियों और विशेषज्ञ समूहों जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (डब्ल्यूईआर) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तीकरण और नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इन बातचीत से प्राप्त जानकारी तथा विशेषज्ञों की सिफारिशें मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को समय-समय पर जारी की जाने वाली एड्वाइजरी में योगदान करती हैं। इन कार्यशालाओं के दौरान, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि सर्वोत्तम कार्यों के रूप में अभिनव मॉडल और सहयोगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। वे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व वाले शासन को बढ़ावा देने वाले अनुकरणीय कार्यों के प्रेरक अनुभव भी साझा करती हैं। इसके अलावा, पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों में सतत और समावेशी विकास में उनके असाधारण प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाली पंचायतों को मान्यता देता है और उन्हें सम्मानित करता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय 'पुरस्कार प्राप्त पंचायतों के कार्यों की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली' को प्रदर्शित करने वाली पुस्तिकाएं प्रकाशित करता है, जिससे ज्ञान-साझाकरण और सीखने को बढ़ावा मिलता है।

***